तारांकित प्रश्न क्र. 357 द्वारा श्री बालाबच्चन

परिशिष्ट – "क"

क्रमांक	मृतक का नाम व पता	दिनांक	समय	पोस्मार्टम जिनकी उपस्थिति में हुआ	पोस्मार्टम करने वाले चिकित्सक का नाम
1	कन्हैया लाल पिता धूरीलाल पाटीदार उम्र 45 वर्ष निवासी चिलोद पिपलिया थाना नारायणगढ़ जिला मंदसौर,	07.06.17	04:40 बजे	1.जगदीश पिता धूरीलाल पाटीदार उम्र 38 साल निवासी चिलोद पिपलिया जिला मंदसौर,	पी0एम0 हेतु पेनल टीम गठित की गई थी, जिसमें 1. डॉ.दीपक अग्रवाल, सीनियर मेडीकल ऑफिसर 2.डॉ.निशान्त भार्मा, सीनियर मेडीकल ऑफिसर 3.डॉ.विशाल गौड, मेडीकल ऑफिसर 4.डॉ.अर्पित पोरवाल, मेडीकल ऑफिसर, जिला चिकित्सालय मंदसौर द्वारा पांचो मृतकों के पोस्ट मार्टम किये गये।
2	बबलू पिता जगदीश पाटीदार उम्र 38 साल निवासी टकरावद थाना नारायणगढ़ जिला मंदसौर,	07.06.17	03:10 बजे	1.अनिल पिता बद्रीलाल पाटीदार उम्र 39 निवासी चिलोद पिपलिया जिला मंदसौर, 2. महेश पिता बद्रीलाल पाटीदार उम्र 32 साल निवासी चिलोद पिपलिया जिला मंदसौर,	
3	चेनराम पिता गणपत पाटीदार उम्र 22 साल नि. नयाखेड़ा थाना जीरन जिला नीमच	07.06.17	02:30 बजे	1.तुलसीराम पिता बंशीलाल पाटीदार उम्र 38 साल निवासी नयाखेडा थाना जीरन जिला नीमच	
4	अभिषेक पिता दिनेशचन्द्र पाटीदार उम्र 20 साल नि. बरखेड़ा, पंथ थाना मल्हारगढ़ जिला मंदसौर	07.06.17	01:28 बजे	1.मधुसुदन पिता दिनेशचन्द्र पाटीदार नि. बरखेड़ा, पंथ थाना मल्हारगढ़ जिला मंदसौर 2. संदीप पिता दिनेशचन्द्र पाटीदार निवासी बरखेड़ा, पंथ थाना मल्हारगढ़ जिला मंदसौर	
5	सत्यनारायण पिता मांगीलाल गायरी उम्र 40 वर्ष नि. लोद थाना नाहरगढ़ जिला मंदसौर	07.06.17	05:45 बजे	1.राजू पिता मांगीलाल गायरी उम्र 25 साल निवासी लोद थाना नाहरगढ़ जिला मंदसौर 2.कंवरलाल पिता उंकारलाल गायरी उम्र 45 वर्ष नि. लोद थाना नाहरगढ़ जिला मंदसौर	

Dy. S.P.
Special Branch, PHQ

तारांकित प्रश्न क्र. 357 द्वारा श्री बालाबच्चन

परिशिष्ट - 'एक'

क्रमांक	मृतक का नाम व पता	दिनांक	समय	पोस्मार्टम जिनकी उपस्थिति में हुआ	पोस्मार्टम करने वाले चिकित्सक का नाम
1	घनश्याम पिता दुर्गालाल धाकड़ उम्र 30 साल निवासी बड़वन, थाना अफजलपुर, जिला मंदसौर	09.06.17	03:25 बजे	दुर्गालाल पिता वद्रीलाल धाकड़	1.डॉ. तपन एस पेन्द्रो 2.डॉ. दीपक गवाली 3.डॉ राहुल अग्रवाल ।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

Dy. S.P.
Special Branch, PHQ
Bhopal

परिशिष्ट "अ"

(7)

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन 462 004

क्रमांक एफ 24-06/2017/1-10 भोपाल, दिनांक 12/06/2017

अधिसूचना

यतः जिला मंदसौर में दिनांक 06.06.2017 को आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग किये जाने से 05 व्यक्तियों की मृत्यु की घटना घटित हुई है।

2 और, यतः, राज्य सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित बिन्दुओं की जांच किये जाने के प्रयोजन के लिए जांच आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है –

(एक) उपरोक्त घटनाएं किन परिस्थितियों में घटी?

(दो) क्या पुलिस द्वारा जो बल प्रयोग किया गया क्या वह घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त था या नहीं? यदि नहीं तो इसके लिए दोषी कौन है?

(तीन) क्या जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने तत्समय निर्मित परिस्थितियों और घटनाओं के लिए पर्याप्त एवं सामयिक कदम उठाये थे?

(चार) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस संबंध में यथोचित सुझाव।

(पांच) ऐसे अन्य विषय जो जांच के अधीन मामले में आवश्यक या आनुषांगिक हो?

3/ अतएव, राज्य शासन जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री जे.के. जैन, की अध्यक्षता में एकल सदस्य जांच आयोग सार्वजनिक महत्व के उपर्युक्त विषयों की जांच करने हेतु नियुक्त करता है।

4/ आयोग का मुख्यालय इंदौर रहेगा।

5/ आयोग, इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(उषा परमार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1),
मंत्रालय, भोपाल